न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती भारद्वाज आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 13/2021

1. भगवानदेई पत्नी स्व0 दाताराम जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर।
2. गिरीश कुमार गर्ग पुत्र स्व0 दाताराम जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर।
3. राजकुमार पुत्र स्व0 दाताराम जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर।
4. शीलादेवी पुत्री स्व0 दाताराम जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर।
5. विमला देवी उर्फ बेबी पुत्री स्व0 दाताराम जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर।
6. मिथलेश उर्फ रीना पुत्री स्व0 दाताराम जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर।
7. नीलम पत्नी स्व0 रामसेवक जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर।
8. आकाश पुत्र स्व0 रामसेवक जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर।
9. शुभम पुत्र स्व0 रामसेवक जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर।
10. स्नेहा पुत्री स्व0 रामसेवक जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर।

———— अपीलाण्ट

बनाम

ग्राम पंचायत सरानीखेड़ा पंचायत समिति धौलपुर ———— रेस्पोडेण्ट

अपील नामान्तरण आदेश संख्या 747 तारीखी 04.05.2016 ग्राम पंचायत सरानीखेड़ा पंचायत समिति धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

उपस्थितिः–
1. श्री अनिल परमार एडवोकेट अपीलाण्ट्स की ओर से
3. श्री विजयसिंह एडवोकेट रैस्पोडेण्ट् की ओर से।

निर्णय दिनांक – 27.12.2021

अपीलाण्ट्स की ओर से अपील इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2429 बाकै ग्राम खेड़ा तहसील व जिला धौलपुर के 12370/16630 भाग के खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट्स के पूर्व पुरूष स्व0 दाताराम गर्ग पुत्र स्व0 भबूतीराम जाति वैश्य निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर थे। स्व0 दाताराम ने अपने जीवनकाल में उक्त खसरा नम्बर में से दिनांक 30.05.2016 को रामसेवक गर्ग राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

सरानीखेड़ा जरिये प्रधानाध्यापिका रा0मा0वि0 सरानीखेड़ा तहसील व जिला धोलपुर के लिए 2722.5 वर्गगज भूमि विद्यालय की बिल्डिंग बनाकर दान कर दी थी जिसका दानपत्र दिनांक 30.05.2011 को उपपंजीयक धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उपपंजीयक धौलपुर ने दिनांक 30.205.2011 को ही पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 11 पृष्ठ संख्या 68 क्रम संख्या 2011002068 पर पंजीबद्ध कर दिया था, तभी से दान की गई भूमि में राजकीय रामसेवक गर्ग बालिका माध्यमिक विद्यालय सरानीखेडा संचालित है। सन् 2016 में अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष दाताराम गर्ग का देहान्त हो गया उनके स्थान पर राजस्व अभिलेख में पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामांतकरण संख्या 747 भर दिया गया क्योंकि दानपत्र के आधार पर विद्यालय प्रशासन द्वारा नामांतकरण नहीं कराया था। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी खसरा नम्बर स्व0 दाताराम गर्ग के नाम इन्द्राज था, सरपंच ग्राम पंचायत ने भी बिना जानकारी के नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया। नामांतकरण संख्या 747 की जानकारी अपीलाण्ट्स को नहीं थी कि यह अपीलाण्ट्स के नाम खोल दिया गया है अब पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा विद्यालय के लिए 20,00,000/–रूपये मंजूर किये लेकिन भूमि विद्यालय के नाम नहीं होने के कारण बजट रोक दिया गया तब विद्यालय प्रशासन द्वारा अपीलाण्ट्स को अवगत कराया कि आपके द्वारा दान की गई आराजी अभी भी आपके नाम चल रही है, जब तक आपके नाम रहेगी तब तक सरकार इसमें बजट खर्च नहीं करेगी। स्व0 दाताराम गर्ग अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी खसरा नम्बर की भूमि को दान कर चुके थे। इसलिए इस खसरा नम्बर पर अपीलाण्ट्स के नाम दाखिला खारिज नहीं हो सकता है। रामसेवक गर्ग राजकीय बालिका मा0 वि0 सरानीखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर के नाम होना चाहिए था। अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 747 दिनांक 04.05.2016 ग्राम पंचायत सरानीखेड़ा निरस्त किया जाकर मुताबिक दानपत्र दिनांक 30.05.2011 नामांतकरण करने हेतु तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेण्ट सरपंच ग्राम पंचायत खेडा एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खेड़ा उपस्थित आये उनकी ओर से श्री विजयसिंह एडवोकेट ने जबाब प्रस्तुत किया और कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर पर वर्तमान में स्व0 रामसेवक गर्ग राजकीय बालिका मा0 वि0 खेडा संचालित है उक्त भूमि को स्व0 दाताराम गर्ग ने विद्यालय के नाम जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र तारीखी 30.05.2011 कर दिया था लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी पर विद्यालय का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ यदि उक्त आराजी पर विद्यालय का नाम दर्ज होता है तो ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। नामांतकरण संख्या 747 दिनांक 04.05.2016 को निरस्त किया जाकर विवादित आराजी का नामांतकरण विद्यालय के नाम खोले जाने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में दानपत्र बहक स्व0 रामसेवक गर्ग राजकीय बालिका मा0 वि0 सरानीखेडा पंजीबद्ध दिनांक 30.05.2011, श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा स्वीकृति आदेश 111 दिनांक 31.10.2011, संशोधित आदेश 113 दिनांक 12.12.2011, सहमति पत्र सरानीखेड़ा सरपंच एवं विद्यालय विकास समिति, नामातंकरण आदेश 747 दिनांक 04.05.2016 एवं जमाबंदी सम्वत् 2076–79 पेश की। रैस्पोडेंट की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

बहस उभयपक्ष अभिभाषक सुनी गयी। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि, विवादित आराजी खसरा नम्बर 2429 बाकै ग्राम खेड़ा तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार स्व0 दाताराम थे। जिन्होंने उक्त आराजी का दान पत्र दिनांक 30.05.2011 स्व0 रामसेवक गर्ग राजकीय बालिका मा0 वि0 सरानीखेडा के नाम कर दिया, लेकिन राजस्व रिकार्ड में पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण संख्या 747 दिनांक 04.05.2016 के द्वारा स्व0 दाताराम का विरासतन दाखिला खोल कर विवादित आराजी पर अपीलाण्ट्स के नामों को इन्द्राज कर दिया, जो कि स्व0 रामसेवक गर्ग राजकीय बालिका मा0 वि0 सरानीखेडा के नाम किया जाना चाहिए था। अतः उक्त नामांकरण आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रैस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार किये जाने व व नामांतकरण संख्या 747 दिनांक 04.05.2016 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस का मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार दानपत्र दिनांक 30.05.2011 के अनुसार विवादित आराजी का दान स्व0 दाताराम द्वारा स्व0 रामसेवक गर्ग राजकीय बालिका मा0 वि0 सरानीखेडा के नाम कर दिया गया था उक्त दानपत्र दिनांक 30.05.2011 को ही उप पंजीयक धौलपुर के यहॉ पंजीबद्ध किया गया था। उक्त दान पत्र के आधार पर श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने राजकीय बालिका विद्यालय संचालन हेतु स्वीकृति आदेश जारी किये थे। नामांतकरण संख्या 747 दिनांक 04.05.2016 के द्वारा स्व0 दाताराम का विरासत का दाखिला अपीलाण्ट्स के नाम खोल दिया, अपीलाण्ट्स का कथन है कि उक्त दानपत्र के आधार पर विवादित आराजी पर स्व0 रामसेवक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सरानीखेडा का नाम का इन्द्राज होना चाहिए। अपीलाण्ट ने नामान्तकरण सं0 747 ग्राम सरानीखेड़ा का दाखिला विरासतन आधार पर गलत खोला जाना बताया है। रैस्पोडेण्ट ने भी अपीलाण्ट्स के कथनों को सही बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलाण्ट्स अपना कथन सिद्ध करने में सफल रहे है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 747 दिनांक 04.05.2016 ग्राम सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर निरस्त किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वह उभयपक्ष की उपस्थिति में पूर्ण जॉच कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को पालना हेतु भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर